कार्यालय नगर पालिका परिषद, इटारसी जिला नर्मदापुरम

इटारसी, दिनांक 19/05/2026

क्रं./लोक कर्म शाखा/2026/369

// ई निविदा संशोधन सूचना//

निकाय द्वारा जारी ई – निविदा कमांक 2026_UAD_508710_1 जिसकी टी.एस. में वार्ड कं 18 के स्थान पर वार्ड कं 13 अंकित हो गया है। जिसकी संशोधित टी.एस. ई निविदा कमांक 2026_UAD_508710_1 में संलग्न की जावे।

शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद इटारसी

Scanned with OKEN Scanner

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, नर्मदापुरम् संभाग, नर्मदापुरम्

Harshvardhan Complex, Mata Mandir, Chouraha, Bhopal (MP)- 462003
Email :- eenarmdapuram@mpurban.gov.in
Website :-www.mpurban.gov.in

क्रमांक/यां.प्र./तक.स्वी./नलकूप-हैण्डपम्प/2026/ 81 नर्मदापुरम्, दिनांक - 15-05-26

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद् इटारसी,
जिला- नर्मदापुरम्।

विषय:- वार्ड क्र. 18 में आकाश किराना शॉप के पास ट्यूबवेल उत्खन्न कार्य की तकनीकी स्वीकृति।

संदर्भ:- Project Approval No. PA-0313-26-0000000023 Project No. PW1-EN2-0313-26-3114.

---//---

विषयान्तर्गत, प्रोजेक्ट अप्रूवल के द्वारा वार्ड क्र. 18 में आकाश किराना शॉप के पास ट्यूबवेल उत्खन्न कार्य के प्राक्कलन का परीक्षण किया गया। निकाय द्वारा कार्य स्थल के मान से सक्षम प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही कार्य को कराया जावेगा। सक्षम प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृती प्राप्त किये बिना कार्य कराने पर समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा एवं वह इसके लिये जवाबदेह होंगे। प्राक्कलन में प्रस्तावित आयटम अनुसार प्रत्येक नलकूप खनन के पूर्व Risistivity Survey कराया जावेगा। प्रत्येक स्थल की Resistivity Survey Report अनुसार Tubewell Drilling का कार्य कराया जावे। Tubewell Drilling के दौरान सक्षम अधिकारी/इंजीनियर द्वारा नलकूप खनन की गहराई एवं जी.आई. राईजर पाईप की लम्बाई का प्रमाणीकरण किया जाकर उसको रिकॉर्ड किया जावेगा एवं फोटोग्राफ्स भी लिए जावेंगे। Tubewell Drilling का कार्य निकाय स्वामित्व की भूमि पर ही किया जावेगा। नलकूप खनन द्वारा प्राप्त जल का परीक्षण सक्षम Laboratory में कराया जाकर उक्त पानी की रिपोर्ट Potable Water हेतु उपयुक्त होने पर ही उसका उपयोग पीने के लिए किया जावेगा। परीक्षण उपरान्त MP Municipalties (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 238 के अनुसार तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है-

क्र	कार्य का नाम	मद	एस.ओ.आर. का विवरण	तकनीकी स्वीकृति की राशि
1	वार्ड क्र. 18 में आकाश किराना शॉप के पास ट्यूबवेल उत्खन्न कार्य।	न.पा.निधि/अनुदान	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग का आई.एस.एस.आर. दिनांक 02.08.2021 से प्रभावशील	2,05,965.00
			(जी.एस.टी. 18 प्रतिशत)	37,073.00
			कुल योग	**2,43,038.00**

शर्तें:-

1. नलकूप खनन कार्य में यू.ए.डी.डी. स्पेसिफिकेशन आई.एस. कोड एवं सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मैन्युअल का पालन सुनिश्चित किया जावे।
2. म.प्र. नगर पालिका लेखा नियम 1971 के नियम 131 के उपनियम (3) के खण्ड (दो) के प्रावधान अनुसार सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जावे।
3. म.प्र. न.पा. (प्रेसिडेंट-इन-कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम 1998 का नियम नियम 5 (5)(एक)(ग्यारह) के प्रावधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित की जावेगी।
4. नलकूप खनन् के उपरान्त यदि उसमें सबमर्शिबल पम्प एवं हैण्डपम्प की स्थापना तत्काल नहीं की जाती है, तो उसको कैप/प्लग कराना सुनिश्चित किया जावे। इसी प्रकार असफल एवं अनुपयोगी नलकूपों को कैप/प्लग करने के उपरान्त दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि से उसे कांक्रीट से कवर कराया जावे।
5. केसिंग पाईप निर्धारित स्पेसिफिकेशन एवं उचित गुणवत्ता की उपयोग की जावे।
6. प्रस्तावित स्थल का रेसिसटिवटी सर्वे कराने के उपरान्त पानी की उपलब्धता के आधार पर ही नलकूप खनन् कराया जावे।
7. नलकूप खनन् का कार्य स्वयं के अधिपत्य की भूमि में कराया जावे।
8. स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यों का ही भुगतान किया जावे।
9. नलकूप खनन स्थल के सम्बंध में वार्ड क्रमांक एवं स्थल के साथ सक्षम पी.आई.सी./परिषद स्वीकृति प्राप्त की जावे।
10. ऐसे निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति जो निविदा आमंत्रण के पश्चात् प्राप्त की जाती है वह स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
11. प्रभावशील एस.ओ.आर. में ट्यूब वेल खनन कार्य में Annexure - 1, Annexure - 2, Annexure - 3 & Annexure - 4 के फार्म अनिवार्यतः कार्य के समय पूर्ण करायें।
12. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. F-6-18/10/18-3/7814 भोपाल दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार राशि रू. 1.00 लाख अथवा उससे अधिक के कराये जाने वाले कार्यों के लिये ई-टेंडरिंग व्यवस्था के माध्यम से आहूत की जाना सुनिश्चित करें।

Scanned with OKEN Scanner

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
यांत्रिकी प्रकोष्ठ, नर्मदापुरम् संभाग, नर्मदापुरम्

Harshvardhan Complex, Mata Mandir, Chouraha,
Bhopal (MP)- 462003
Emall :- eenarmdapuram@mpurban.gov.in
Website :-www.mpurban.gov.in

13. ट्यूब वेल खनन कार्य तथा हेण्ड पंप स्थापना कार्य निकाय संपत्ति रजिस्ट्रर में दर्ज कराना अनिवार्य होगा। निकाय द्वारा पूर्व में भी अगर ट्यूब वेल खनन कार्य तथा हैण्डपंप निकाय सीमा में समय-समय पर कराये गये हैं, उनका इन्द्राज भी निकाय संपत्ति रजिस्ट्रर में दर्ज करायें।
14. ट्यूब वेल खनन कार्य सफल होने पर उसमें मोटर लगाकर पेयजल उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था विद्युत कनेक्शन लेकर तथा पाईप लाईन विस्तार हेतु आवश्यक प्रस्ताव बनाकर इस कार्यालय में प्रेषित करें।
15. प्रत्येक टयूबवेल खनन कार्य में कराये गये खनन कार्य की गहराई का पंचनामा व ट्यूबवेल में प्राप्त पानी के माप लेकर उपलब्ध पानी की क्षमता अनुसार टयूवेल में मोटर/हैण्डपंप लगाने की कार्यवाही करें।
16. उल्लेखित निर्माण कार्य में निकाय अधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि प्रस्तावित कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/मद से संपादित नही किया गया हो। तथ्यों को छुपाकर निजी/अवैध कॉलोनी में निर्माण करने पर तकनीकी स्वीकृति स्वमेय निरस्त हो जावेगी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी पूर्णतः जबाबदार रहेगें।
17. निविदा दर स्वीकृति उपरांत ठेकेदार को जिले के श्रमपदाधिकारी के पास श्रम आयुक्त के संविदा श्रमिक (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत आवेदन प्रारूप-05 तत्काल जमा कराना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ठेकेदार से उक्त पंजीयन निकाय में जमा कराकर अनुबंध संपादित किया जावेगा। पंजीयन निर्धारित अवधि में जमा न होने पर ठेका निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।
18. उपरोक्त शर्तो की पूर्ति की जिम्मेदारी निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद की होगी।
19. MP Municipalties (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 237 के प्रावधान अनुसार सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जावे।
20. MP Municipalties (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 217 के अनुसार अर्नेस्ट मनी एवं प्रतिभूति राशि कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री या माल के अनुमानित मूल्य की जमा कराई जावे।
21. MP Municipalties (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 91, 92 एवं 93 के प्रावधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित की जावेगी।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

कार्यपालन यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
नर्मदापुरम् संभाग, नर्मदापुरम्

Scanned with OKEN Scanner